

न्यायालय: दीपक चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक-191 / 2005ई0फौ0

संस्थित दिनांक-25.06.05

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र

चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

.....अभियोजन

बनाम

1- पप्पू उर्फ प्यारेलाल पुत्र देवीलाल

आयु 23 साल, जाति-मेहतर

2- नीरज पुत्र मथुरा

आयु 18 साल, जाति-मेहतर

निवासीगण-बाबा की बाबडी के पास,

चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

.....आरोपीगण

अभियोजन द्वारा :- ए.डी.पी.ओ श्री सुदीप शर्मा।

आरोपीगण द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक..... को घोषित)

1- आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज के विरुद्ध धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24-25.05.05 के मध्य सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् मेला गाउण्ड चंदेरी स्थित निर्माणधीन शाला भवन में चोरी करने के आशय से रात्रों प्रछन्न गृह भेदन कर प्रवेश कर, विद्यालय के स्वामित्व का लोहे का एक चैनल गेट वजन करीब 40 किलो कीमत लगभग 1500/- रुपये का विद्यालय के आधिपत्य से हटाकर एवं बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी की।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बच्चूलाल जैन ने दिनांक 25.05.05 को थाना चंदेरी आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह शाला प्राथमिक विद्यालय बाहर शहर चंदेरी में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। उक्त पाठशाला अभी किराये के मकान में चल रही है। उक्त शाला का भवन मेला गाउण्ड में निर्माणाधीन है। उस निर्माणधीन भवन में पालक शिक्षक संघ समीति जिसका फरियादी सचिव है, के द्वारा चल रहा है। आज सुबह फरियादी को पता चला कि कल रात में उक्त निर्माणाधीन भवन से सामान

चोरी चला गया है। तब फरियादी ने मौके पर जाकर देखा तो शाला भवन का चैनल गेट नहीं मिला, जिसे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गये। गेट के अलावा और क्या सामान उस निर्माणाधीन भवन में था, इसकी जानकारी पालक संघ के अध्यक्ष राजकुमार अहिरवार को होगी, जो अभी बाहर गये हुये है। चोरी गया चैनल गेट वह और अध्यक्ष बनवाकर लाये थे। इसीलिये उक्त चैनल गेट को सामने आने पर वह व अध्यक्ष पहचान लेंगे। चोरी गये चैनल गेट की कीमत करीब 1500/- रुपये होगी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना चंदेरी के अपराध क्रं0 140/05 धारा 457, 380 भा0द0वि0 के अंतर्गत कायमी की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया है एवं विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक पृथक से अंकित किया गया।

5— प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.स के उपबंधों के तहत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6— प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्न है:—

1. क्या आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज ने दिनांक 24-25.05.05 के मध्य सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् मेला गाउण्ड चंदेरी स्थित निर्माणाधीन शाला भवन में चोरी करने के आशय से रात्रों प्रछन्न गृह भेदन कर प्रवेश किया ?
2. क्या आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विद्यालय के स्वामित्व का लोहे का एक चैनल गेट वजन करीब 40 किलो कीमत लगभग 1500/- रुपये का विद्यालय के आधिपत्य से हटाकर एवं बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी की ?

// सकारण निष्कर्ष //

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 //

7— उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक ही घटना से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी बच्चूलाल जैन (अ0सा01) का कथन है कि घटना दिनांक 25 मई की है। मैला गाउण्ड में स्कूल की शासकीय बिल्डिंग बन रही थी। वह उस समय शिक्षक सचिव के पद पर पदस्थ था। रात्रि में स्कूल का चैनल गेट चोरी हो गया था। जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना चंदेरी में की थी। जो प्रपी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस

को घटना स्थल बताया था। नक्शा मौका प्रपी-2 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

9— साक्षी राजकुमार (अ0सा02) ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटना के समय सागर में था। उसे चंदेरी आने पर मालूम हुआ था कि स्कूल में चोरी हो गई है। उस समय वह पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के पद पर था। साक्षी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) का कथन है कि वह दिनांक 25.05.05 को थाना चंदेरी में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बच्चूलाल जैन ने स्कूल के चैनल गेट चोरी हो जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी। बच्चूलाल की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 140/05 धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत फरियादी के बतायेनुसार एफ.आई.आर. लेख की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

10— इस प्रकार फरियादी बच्चू लाल जैन (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में घटना 'को रात्रि में स्कूल का चैनल गेट चोरी होने का कथन किया है। फरियादी के उक्त कथन का समर्थन साक्षी राजकुमार (अ0सा02) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। जबकि साक्षी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने भी फरियादी द्वारा उसे प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने का कथन किया है। इस बिन्दु पर फरियादी व उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अपने प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रही है। जिससे साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को शासकीय प्राथमिक विद्यालय बाहर शहर से चैनल गेट की चोरी हुई।

11— अब न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि, क्या उक्त चोरी आरोपी पप्पू उर्फ प्यारे व नीरज द्वारा ही कारित की गई?

12— इस संबंध में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना उसके द्वारा की गई है। उसके द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर बच्चूलाल की निशादेही पर नक्शा मौका प्रपी-2 बनाया गया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जिसका समर्थन फरियादी बच्चूलाल (अ0सा01) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। साक्षी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) का यह भी कथन है कि उसके द्वारा फरियादी बच्चूलाल जैन व साक्षीगण के कथन उनके बतायेनुसार लेख किये गये थे। तत्पश्चात् आरोपीगण की तलाश की जाने पर तलाशी के दौरान नीरज व पप्पू मेहतर जो चोरी गये चैनल को बैचने की नियत से ले जा रहे थे, उन्हें गवाह शहीद खां व शकीर शाह के समक्ष रंगे हाथों पकड़ा था। जप्ती नामा प्रपी-5 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती से पहले उसने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-6 लगायत 7 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

13— इस प्रकार विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने आरोपीगण नीरज व पप्पू मेहतर को चोरी गये चैनल को बैचने हेतु ले जाने के समय रंगे हाथों पकड़ने

का कथन किया है। जबकि स्वयं फरियादी बच्चूलाल (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वास्तविकता यह है कि रात में चैनल पकड़ा गया था तथा सुबह उसे जानकारी मिली तो उसने रिपोर्ट की थी। इस प्रकार इस संबंध में स्वयं फरियादी बच्चू लाल (अ0सा01) व विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) के कथनों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है।

14— जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षी शहीद खां (अ0सा03) व शकील शाह (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उनके सामने आरोपीगण ने पुलिस से कोई चीज जप्त नहीं की थी और न ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर परीक्षण किये जाने पर साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने आरोपीगण से लोहे का चैनल गेट जप्त किया था एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने प्रपी-5 लगायत 7 पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। किंतु इस संबंध में साक्षी शहीद खां (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह 6वीं क्लास तक पढ़ा लिखा है। पुलिस वालों ने उसे यह नहीं बताया था कि किस बात के हस्ताक्षर करवा रहे हैं। उसने जिन कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। उनको पुलिस ने न तो पढ़कर सुनाया था और न ही उस समय आरोपी मौजूद थे। साक्षी शकील शाह (अ0सा04) ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि पुलिस ने उससे बस स्टैंड पर हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा वहां आरोपीगण व चैनल गेट मौजूद नहीं था। इस प्रकार जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी शहीद खां (अ0सा03) व शकील शाह (अ0सा04) ने अभियोजन की कार्यवाही का समर्थन नहीं करते हुये आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन को उनकी साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

15— किन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक व समय 25.05.05 को 11.10 बजे होना बताया गया है। जबकि विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटना स्थल पर 12.00 बजे पहुंचा था और 5—10 मिनट रुका था। इसके बाद में माल मुल्जिम की तलाश में कस्बे में घूमा था। उसकी तलाश में एक सिपाही और था, जिसका नाम आज उसे याद नहीं है। जबकि अभियोजन की ओर से दिनांक 25.05.05 को 13.30 बजे आरोपी पप्पू उर्फ प्यारे व 13.40 बजे आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर उक्त दिनांक को 13.50 बजे जप्ती किया जाना बताया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण को एक साथ लोहे का चैनल गेट ले जाते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने का कथन किया है। किंतु यदि वास्तव में विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपीगण को एक ही स्थान पर एक साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तब प्रपी-5 लगायत 7 के दस्तावेजों में पृथक-पृथक समय अभियोजन की पश्चातवर्ती

सोच की ओर इंगित करता है। जबकि स्वयं फरियादी बच्चू लाल (अ0सा01) ने अभियोजन की उक्त कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते हुये चोरी गये चैनल गेट रात में ही पकड़े जाने व सुबह उसके द्वारा रिपोर्ट करने का स्पष्ट कथन किया है। साथ ही फरियादी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अपने बयान वास्तविकता के आधार पर नहीं दिये हैं एवं रिपोर्ट के आधार पर दिये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.05 को दिन के 11.10 बजे प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर 12.00 बजे घटना स्थल का मुआयना करने एवं आरोपीगण की तलाश हेतु निकलकर उक्त दिनांक को ही 13.50 बजे तक संपूर्ण कार्यवाही कर लेना संदेह उत्पन्न करता है।

16— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से रोजनामचासान्हा अथवा उसकी कोई नकल सलग्न नहीं की गई है और अभियोजन की ओर से उसे प्रस्तुत न करने का कोई उचित पर्याप्त कारण भी नहीं बताया गया है। जबकि कोई पुलिस अधिकारी थाना छोड़ता है तो उसकी रवानगी रोजनामचा में अंकित की जाती है और वह रोजनामचा सान्हा थाने से उस पुलिस अधिकारी के रवाना होने का प्राथमिक साक्ष्य होता है। इसप्रकार प्रस्तुत प्रकरण में इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने थाने से बाहर जाकर जप्ती की कार्यवाही करना बताया है, परंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो उक्त दिनांक को विवेचना अधिकारी के थाने से रवाना होने के संबंध में प्रश्न चिन्ह अंकित कर उसके द्वारा आरोपीगण से जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही को संदिग्ध करता है।

17— आरोपीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) द्वारा ही प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 लेख की जाकर प्रकरण की समस्त विवेचना उसके द्वारा की गई है, जो प्रकरण को संदिग्ध बनाता है। इस संबंध में विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण की रिपोर्ट से लेकर जप्ती गिरफ्तारी सहित पूरी कार्यवाही स्वयं की है। इस संबंध में आरोपीगण की ओर से न्यायदृष्टांत महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2009 (11) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 97 पेश किया गया है। किंतु न्यायदृष्टांत राज्य बनाम जयपाल ए 0आई0आर0 2004 एस0सी0 डब्ल्यू0 1762 में प्रतिपादित किया गया है कि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह पुलिस अधिकारी करने में सक्षम है, जो किसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखता है और अपराध पंजीबद्ध करता है। वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। न्यायदृष्टांत एस0जीवनाथम बनाम राज्य ए0आई0आर0 2004 एस0सी0 4608 में प्रतिपादित किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी जिसने तलाशी और जप्ती की तथा उसी ने अपराध पंजीबद्ध किया है जो उसने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया है तथा

अनुसंधान करके चार्जशीट प्रस्तुत की है। उस निरीक्षक को प्रकरण से हितबद्ध व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में आरोपीगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है।

18— आरोपीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। आरोपीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत नरेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1994 (11)एम0पी0डब्ल्यू0एन0 126 पेश किया गया है।

19— इस संबंध में फरियादी बच्चूलाल (अ0सा01) का कथन है कि पहचान की कार्यवाही में उसने अपना चैनल गेट पहचान लिया था। शिनाख्तगी मैमोरेण्डम प्रपी-3 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साथही फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि एस0आई0 सौलंकी ने उससे आधे चैनल गेट की पहचान की कार्यवाही करवाई थी तथा शिनाख्तगी के समय एस0 आई0 सौलंकी तथा थाने के अन्य मुंशी जो लिखा-पढी करते हैं, मौजूद थे एवं उसने पहचान कार्यवाही के समय थाने पर आधा चैनल गेट ही देखा था। उसने प्रपी-3 के शिनाख्तगी मैमोरेण्डम को पढा नहीं था। फरियादी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि स्कूल से पूरा चैनल गेट चोरी हुआ था। किंतु पहचान के समय आधा ही चैनल गेट था। इस संबंध में विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे बच्चूलाल ने ऐसा नहीं बताया था कि उसका आधा चैनल गेट जप्त हुआ है, जबकि उसका पूरा चैनल गेट चोरी हो गया है। चूँकि फरियादी बच्चूलाल जैन (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में चोरी गया चैनल गेट शासकीय स्कूल का होना बताया है। किंतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में उक्त चोरी गये चैनल गेट का कोई बिल अथवा अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। जिससे प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही महत्वपूर्ण हो जाती है।

20— इस संबंध में साक्षी लईक मोहम्मद (अ0सा05) का कथन है कि वह वर्ष 2005 में वार्ड क्रमांक 1 का पार्षद था। प्रपी-3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे जानकारी नहीं है कि प्रपी-3 के पंचनामों पर पुलिस वालों ने कब हस्ताक्षर करा लिये थे। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर परीक्षण किये जाने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि उसने बच्चूलाल जैन से पहचान की कार्यवाही करवाई थी तथा तीन चैनल गेट में से बच्चूलाल ने अपना चैनल गेट पहचान लिया था। साथ ही कथन किया है कि जब उसने हस्ताक्षर किये थे। उस समय पंचनामा लिखा नहीं गया था एवं प्रपी-3 पर उसकी लिखावट नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी ने शिनाख्तगी की कार्यवाही उसके द्वारा अथवा उसके समक्ष किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी की

साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21— इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य व प्रकरण के दस्तावेजों के परिशीलन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रपी-5 के जप्ती पंचनामा अनुसार एक लोहे का चैनल गेट जप्त होना तथा उसकी फरियादी से शिनाख्तगी कराया जाना बताया गया है, जबकि स्वयं फरियादी ने शिनाख्तगी की कार्यवाही पुलिस की मौजूदगी में किया जाना तथा उसके आधे चैनल गेट की पहचान कराये जाने का कथन किया है। साथ ही प्रकरण में जप्तशुदा चैनल गेट के प्रकार, डिजाईन अथवा उसकी कोई विशिष्ट पहचान के संबंध में कोई उल्लेख जप्ती पंचनामा प्रपी-5 में नहीं किया गया है। जबकि शिनाख्तगीकर्ता लईक मोहम्मद (अ0सा05) ने उसके द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य की विवेचना से प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

22— इस प्रकार अभिलेख पर आई समग्र साक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं फरियादी बच्चूलाल (अ0सा01) व विवेचना अधिकारी इंदर सिंह सोलंकी (अ0सा06) के कथनों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। जिससे उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। साथ ही जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षीगण शहीद खां (अ0सा03), शकील शाह (अ0सा04) ने तथा शिनाख्तगी के साक्षी लईक मोहम्मद (अ0सा05) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से न तो कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर पेश किया गया है और न ही जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही विवेचना अधिकारी का उक्त दिनांक को थाने से खाना होना प्रमाणित है। साथ ही प्रकरण की जप्तशुदा सामग्री चैनल गेट के संबंध में भी फरियादी व विवेचना अधिकारी के कथनों में परस्पर विरोधाभास है, जिससे प्रकरण में जप्ती एवं शिनाख्तगी की कार्यवाही भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। यह अभियोजन का दायित्व था कि वह अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करता।

23— चूंकि यह विधि का सुस्थापित नियम है कि मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन इस बात को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज ने दिनांक 24-25.05.05 के मध्य सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् मेला गाउण्ड चंदेरी स्थित निर्माणधीन शाला भवन में चोरी करने के आशय से रात्रों प्रछन्न गृह भेदन कर प्रवेश किया एवं विद्यालय के स्वामित्व का लोहे का एक चैनल गेट वजन करीब 40 किलो कीमत लगभग 1500/- रुपये का विद्यालय के आधिपत्य से हटाकर एवं बेईमानी पूर्वक ले जाकर चोरी की।

24— अतः यह न्यायालय आरोपीगण पप्पू उर्फ प्यारेलाल व नीरज को संदेह का लाभ देते हुये धारा 457, 380 भा0द0वि0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

25— आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

26— प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात सुपुर्दगी नामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

27— आरोपीगण जिस अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हो उसके संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत निरोध प्रमाण प्रमाण तैयार किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(दीपक चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)

(दीपक चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)